न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल बोर्ड, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2018

निगरानी-0026/2019/हरदा/भू.रा.

अपीलार्थी / आवेदक ध्रुव कुमार अग्रवाल आत्मज बालकृष्ण अग्रवाल

निवासी – मेन रोड, हरदा कृषक ग्राम देवास तहसील हंडिया जिला हरदा

विरूद्ध

प्रत्यार्थी / आवेदक अशोक कुमार अग्रवाल आत्मज चन्द्रगोपाल अग्रवाल

निवासी – ज्योति प्रेस के सामने, मेन रोड तहसील व जिला हरदा

निगरानी अंतर्गत धारा 56 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

अपीलार्थी / आवेदक अपीलीय न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्र. 21 / अपील / 2018–18 पक्षकार – ध्रुव कुमार अग्रवाल विरूद्ध अशोक कुमार अग्रवाल में पारित अंतिम आदेश दिनांक 01 / 11 / 2018 से पीड़ित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है जो कि न्यायालय तहसीलदार महोदय हंडिया जिला हरदा राजस्व प्र.क्र. 18 / अ–6 / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 24 / 03 / 2005 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हरदा, अंतिम आदेश दिनांक 09 / 07 / 2013, न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा प्रकरण क्र. 321 / अपील / वर्ष 2012–13 में अंतिम आदेश दिनांक 09 / 06 / 2015 एवं इस न्यायालय के द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 2712 / पी.बी.आर. / 15 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 07 / 03 / 2017 से उत्पन्न हुई है से पीड़ित होकर अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर वर्तमान निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार हंडिया जिला हरदा के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–26/2019/हरदा/भू0रा0

ध्रुव कुमार अग्रवाल विरूद्ध अशोक कुमार अग्रवाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 –02–2019	आवेदक अभिभाषक श्री सचिन अग्रवाल उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 21/अपील/2018–19 में पारित अंतिम दिनांक 01–11–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06–12–2018 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को निगरानी प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 27/2/19	